

में प्रतिवादी सं० 12 पर सुगत पुत्री स्व. महावीर
पौत्री माला जाति गीणा जाते विधिक माता संतक
केला देवी पाली स्व. महावीर निवासी कांवर,
प्रतिवादी सं० 13 पर विजु देवी पाली स्व. काकर-
राम पुत्रमय माला तथा प्रतिवादी सं० 14 पर
प्रमोद पुत्र स्व. काकरराम पौत्र माला लाल
स्याही से द्रवस्त किया जाता है। डिक्ली के पृष्ठ
सं० 2 की 9 वीं लाइन में अंकित "121/540"
के ख्यात पर "121/520" तथा 12 वीं लाइन
में प्रतिवादी संख्या 7 ता 20 के बाद तथा
खारिफ से पूर्व "अहिस्ता बरकर-बरकर"
लाल स्याही से द्रवस्त किया जाता है तथा
सी दही उकार निर्णय के आदेश की 5 वीं
लाइन में अंकित "121/540" के ख्यात पर
"121/520" एवं 8 वीं लाइन में प्रतिवादी सं०
7 ता 20 को के बाद व खारिफ काशतकार
से पूर्व "अहिस्ता बरकर-बरकर" लाल स्याही
से द्रवस्त किया जाता है। मुताबिक संशोधित
निर्णय एवं डिक्ली राजस्व रेकॉर्ड में अमल रामद
हेतु तहसीलदार उठेला को तहरीट जारी है।
प्रमोदी पुत्र: फैसल रेकॉर्ड में शामिल हो।
निर्णय छुले न्यायलय में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
खंडेला (सीकर)